



फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

खेत नं. 245 के अंतर्गत जोत खेती

खेत नं. 191, 200, 204 नं. 337 पन् 18

तारीख हुका	हुका या कार्यवाही, मय इतिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुका की तारीख में जारी हुए
19/2/18	पहली हल्ला की रिपोर्ट दर्ज कर अतिकमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर फतावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दीसा)	
28/2/18	फतावली पेश हुई। आवज लगवा डी गई। अतिकमी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठसैन अधिकारी उपलब्ध पर है। फतावली 8/3/2018 को पेश हो।	सफाई 28/2/18
8/3/2018	आज फतावली पेश हुई। आवज लगवा डी गई। अतिकमी उपस्थित आया है। अतिकमी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः ग्राम पीतनिया बालाजी की अतिक्रमण श्रम से अतिकमी को मौलिक रूप से वेकवुल किया जाता है। विस्तृत विवरण पृथक से लिखा आकर संलग्न फतावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (दीसा)	 निशानी वापस

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 337/18 तारीख रजू 19/11/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का ~~दौसा~~ बनाम
~~रामचन्द~~ पुत्र ~~अंगवत~~ जाति ~~सैनी~~ निवासी ~~पीरियावासा~~ तहसील
~~महवा~~

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 8/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम ~~महवा~~ हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ~~रामचन्द~~ ने ग्राम ~~पीरियावासा~~ की भूमि ख.न. 838 रकबा 0.02 किस्म ~~गोमुंशला~~ फसल रवि / खसिक संवत् 2074 में ~~जो~~ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.02 किस्म ~~गोमुंशला~~ वाके ग्राम ~~पीरियावासा~~ से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.88 का 50 गुणा ~~44 रु~~ शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल ~~जो~~ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया तहसीलदार महवा (दौसा)

रजिस्टर मा/व नं. 65 पर
 वर्ष 2017-18
 की राशि ता.
 की जमा कायमी से
 दिनांक 21/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार महवा